>

Title: Need to revive income tax exemption to the Cooperative Bank and the Co-operative institutions in the country.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, सहकारी संस्थाओं को पहले भारतीय आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त थी। जैसे कोआपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, कोई भंडार या जीएसएस हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में शार्ट टर्म और लांग टर्म लोन देते हैं। इनको इनकम टैक्स की छूट प्राप्त थी तो ग्रामीण जनता को लोन कम ब्याज दर पर मिलता था। कुछ सालों से इनकम टैक्स विभाग ने छूट समाप्त कर दी गई जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट को धक्का लगा। कोआपरेटिव मूवमेंट लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, यह माना कि कोआपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं, आप इसे कमर्शियल आर्गेनाइजेशन मान सकते हैं। लेकिन वर्षों तक जब इनकम टैक्स में छूट थी तो अब यह क्यों लागू किया गया है? अगर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी तो सहकारिता संस्थाएं, जो कृषि क्षेत्र में किसानों को शार्ट और लांग टर्म लोन देती हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण के ब्याज के रूप में अधिक भार सहना पड़ेगा। मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग है कि सहकारी बैंकों और संस्थाओं से वापिस ली गई इनकम टैक्स छूट को बहाल किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet on Monday, the 21st May, 2012 at 11.00 a.m.

18.42 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, May 21, 2012/Vaisakha 31, 1934 (Saka)

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.